प्रेस विज्ञप्ति

सीफार वेबिनार: कोरोना लॉकडाउन के दौरान विकलांग लोगों पर तीन तरफ से पड़ी मार

जयपुर: 2 दिसंबर, 2020: अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस और महिला-युवतियों के साथ हिंसा के ख़िलाफ़ 16 दिनों तक चलने वाले पखवाड़े के तहत सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफार) ने विकलांग लोगों को मुख्य धारा में लाने और कोविड संक्रमण के बाद सतत विकास को सब तक पहुंचाने के मुद्दे पर एक वेबिनार का आयोजन किया. यह आयोजन सीफार ने सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रयास के सहयोग से किया था.

वेबिनार की चर्चा के दौरान कोरोना महामारी के दौर में विकलांग लोगों पर तीन तरह से प्रभावित होने की बात उभर कर सामने आयी. ए) कोरोना महामारी के दौरान उन्हें मूलभूत स्वच्छता सेवाएँ जैसे शौचालय और पानी की सुविधा नहीं मिली. बी) विकलांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लाभ नहीं मिल पाया और सी) महामारी के दौरान उन्हे कोई वित्तीय मदद या आजीविका में मदद नहीं मिली

सीफार की कार्यकारी निदेशक अखिला सिवदास ने आपने उद्घाटन संबोधन में कहा, "यह इस विषय पर तीसरा वेबिनार है. हमलोग आज यहां केवल मौजूदा समस्या पर विचारने के लिए नहीं हैं बल्कि मौजूदा संकट को दूर करने के प्रयासों पर भी सोचने के लिए भी एकजुट हुए हैं ताकि बस्तियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी, शौचालय जैसी स्वच्छता की मूलभूत सुविधाएं मिल सकें."

राजीव नगर की आशा ने विकलांग लोगों के हालात को रेखांकित करते हुए बताया, "जब तक शौचालयों का बुनियादी मॉडल हमारी जरूरतों के मुताबिक नहीं बनाए जाएंगे, हम उसका इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं होंगे. अगर पानी का नल हमारे घरों तक नहीं पहुंचेगा हम पानी नहीं भर सकते. हम अपने घर पर कचरा जमा करते हैं क्योंकि हर दिन हमारे लिए बहुत दूर तक जाना संभव नहीं होता. हमारी सरकार से अपील है कि वह हमारी मुश्किलों को समझें और हमारे लिए साफ़ सफ़ाई की व्यवस्था बनाए."

शिव अपने हाथों की मदद से चल पाते हैं और उनकी पत्नी भी ऐसी ही विकलांगता से ग्रस्त हैं . उन्होंने बताया, "कोरोना महामारी के दौरान कई विकलांग लोगों की नौकरियां चली गईं, उनका अपना कारोबार बंद गया. हम अपने परिवार का ख़र्च नहीं उठा सकते. गरिमापूर्ण ढंग से जी नहीं सकते. हमारी मदद के लिए कुछ विशेष योजनाएं होनी चाहिए."

बापू बस्ती के साठ वर्ष के बुर्जुग चिरंजीलाल को कोई पेंशन नहीं मिलती है. अपनी इस मुश्किल का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, "मैं ई-मित्र केंद्र गया था, लेकिन उन्होंने मुझसे पैसे मांगे जो मैं नहीं दे सका. मुझे कोई सहायता नहीं मिली. मेरे लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाना भी संभव नहीं था. अगर सरकारी योजनाओं तक हमारी पहुंच आसान होगी तो हमें भोजन और दवाईयां आसानी से मिल सकती हैं."

एक विकलांग महिला की विशेष जरूरतों की मांग पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के डिप्टी कमिश्नर नवीन भारद्वाज ने स्वयंसेवी समूहों में शामिल होने की इच्छुक महिलाओं की आर्थिक मदद देने और निपुण बनाने संबंधी एक नीतिगत निर्देश जारी किए जाने की जानकारी दी. उन्होंने कहा, "हम उन महिलाओं को

आसान शर्तों पर लोन मुहैया कराएंगे ताकि वे अपने घर से काम कर सकें. इसके अलावा हाल ही में हमलोगों ने एक निर्देश जारी किया है जिससे पांच विकलांग लोग एक स्वयंसेवी समूह बना सकते हैं. हम उन सभी लोगों को मुफ्त में स्किल और अपना उत्पाद बेचने के लिए मार्केटिंग की जानकारी मुहैया कराएंगे. यह संभव हो सके इसके लिए हमें गैर सरकारी संगठनों की सहायता की जरूरत है."

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उप निदेशक डॉ. आकाशदीप अरोरा ने तीन अनुशंसाओं की जानकारी दी जिसे सरकारी विभागों की ओर से लगातार आगे बढ़ाए जाने की जरूरत हैं. उन्होंने कहा, "विकलांग गरिमापूर्ण ढंग से जीवन यापन कर सकें इसके लिए हमें विकलांग लोगों के अधिकार संबंधी कानून को लागू करना होगा. हमें उन्हें शिक्षा और नौकरियों में बराबरी के मौके देने होंगे और उनकी राह के अवरोधों को दूर करना होगा, ताकि वे देश के नागरिक के तौर पर अपना योगदान कर सकें. इसके लिए हम सबको साल में एक दिन नहीं बल्कि पूरे साल काम करना होगा."

सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग, जयपुर में विकलांगता विशेषज्ञ और वरिष्ठ परामर्शदाता पूजा शर्मा ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ लेने के लिए विकलांगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने बताया, "सरकार की कई योजनाएं हैं लेकिन हमारे पास विकलांगों को लेकर कोई आंकडे नहीं है, जिससे इन योजनाओं का पूरा लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है. स्वास्थ्य, शिक्षा, जनकल्याण और सामाजिक सुरक्षा को लेकर काम करने वाले सभी विभागों के एक दूसरे से संबंद्ध होकर काम करें, यह सुनिश्चित किए जाने की ज़रूरत है."

विकलांगों के सशक्तिकरण को लेकर काम करने वाली गैर सरकारी संगठन प्रयास के स्पेशल कार्यक्रमों की निदेशक इंदू रानी सिंह ने सामाजिक सुरक्षा और कोविड संक्रमण के दौरान राहत देने की कोशिशों में नागरिकता दस्तावेजों की बाध्यता की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इस दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर विकलांग लोगों के पास पेंशन और खाद्य सुरक्षा संबंधी लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं होता है. कार्यकारी योजना में इस समझ की कमी है. उन्होंने सुझाव देते हुए कहा, " सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग में विकलांग लोगों की सेवा के लिए एक टास्क फोर्स होना चाहिएजिनके पास सटीक आंकड़े होने चाहिए ताकि योजनाओं का सही मायने में आबंटन और निगरानी हो सके."

यह वेबिनार ऑस्ट्रेलिया सरकार की वाटर फॉर विमेन फंड की सहायता से जयपुर की कच्ची बस्तियों में मूलभूत स्वच्छता सेवाओं को मुहैया कराने और उन्हे सामाजिक तौर पर समावेशी बनाने के लिए किए सीफार द्वारा चलाए जा रहे प्रोजेक्ट का हिस्सा है . इसमें कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, विकास संस्थाएं और सामुदायिक प्रतिनिधियों को मिलाकर कुल 65 लोग शामिल हुए.

लिंग आधारित भेदभाव के चलते होने वाली हिंसा के ख़िलाफ़ 16 दिन का पखवाड़ा

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटारेस ने इस मौके पर कहा है, "कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के चलते दुनिया अपने घरों में सिमटी है. इस दौरान अलग अलग तरीकों से महिलाओं के साथ हिंसा के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखने को मिली है."

लिंग आधारित हिंसा के ख़िलाफ़ 16 दिनों की मुहिम एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है. जिसकी शुरुआत 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिन के मौके पर हुई थी. यह 10 दिसंबर, 2020 को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन तक चलेगा. इस दिन दुनिया भर की महिलाएं, पुरुष और संस्थाओं ने सभी तरह

की लिंग भेदभाव और उसके चलते होने वाली हिंसा के सभी प्रारूपों को मिटाने का संकल्प लिया है ताकि महिलाएं बतौर नागरिक अपने अधिकार हासिल कर सकें.

अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस- 3 दिसंबर, 2020

विकलांग लोगों के लिए यूनेस्को की रूपरेखा के मुताबिक-

- दुनिया भर के विकलांग लोगों पर कोविड-19 संक्रमण की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है.
- इसमें 46 प्रतिशत लोग साठ साल से ज़्यादा उम्र के हैं, प्रत्येक दस में से एक विकलांग बच्चा है और प्रत्येक पांच में एक महिला है.
- इसमें 80 प्रतिशत लोग विकासशील देशों में रह रहे हैं

विकलांग लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिन मनाने का चलन संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की प्रस्ताव 47/3 के जरिए 1992 में लाया गया. इसका उद्देश्य विकलांग लोगों के अधिकारों को प्रमोट करना और उनकी देखभाल करना है. इसके अलावा समाज के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोग विकास कर सकें और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में विकलांग लोगों के बारे में जागरूकता बढ़े.

दुनिया भर में हर साल तीन दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है.

सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के बारे में-

गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च (सीफार) की स्थापनी जनवरी, 1988 में हुई थी. यह समाज के पिछड़े और हाशिए पर जीवन यापन कर रहे लोगों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध संस्था है जो जेंडर और विकास के नज़िए से काम करती है. सीफार फिलहाल बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 ज़िलों और नौ शहरों में काम कर रही है.

ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें-

क्रुतिका कपिल- 8504929626
पद्मिनी कृष्णन- 9810482967